अनुदान संख्या 85 - जहाजरानी विभाग
GRANT No. 85–DEPARTMENT OF SHIPPING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	670,71,00		720,04,00	670,00,61	-50,03,39
पूरक	Supplementary	49,33,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					46,74,80
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	417,46,00		417,48,00	317,65,48	–99,82,52
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					97,33,82

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (5003.39 लाख रु.) अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 4933.00 लाख रु. के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5003.39 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.4933.00 lakhs obtained in August, 2005 and March, 2006 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1073.00	993.80	937.63	–56.17
पु.	R.	–79.20			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	5400.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5400.00			
मुख्य शीर्ष "2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	11209.00	10506.40	10500.41	–5.99
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–704.60			
मुख्य शीर्ष "3051'' पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	35356.00	36038.88	36127.38	+88.50
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	681.88			
मुख्य शीर्ष "3056'' अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	9046.00	14743.00	14475.00	–268.00
पू.	S.	4930.00			
पु.	R.	767.00			

(I) 8380.00 लाख रु. का प्रावधान छः शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8300.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान''- 5400.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के

(I) Provision of Rs.8380.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads: of these Rs.8300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure– Lumpsum provision for projects/schemes of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.5400.00 lakhs- due to utilisation of part funds by re-appropriation

लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का आंशिक पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग - गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पोत प्रांगण और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगण को आर्थिक सहायता" - 2400.00 लाख रु. निधियों की मांग न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Subsidy to non-central PSU Shipyards and Private Sector Shipyards" - Rs.2400.00 lakhs - due to no demand for funds.

(गा) मुख्य शीर्ष "3056" - "अन्य व्यय - आईडब्ल्यूटी उद्यमियों को कर्ज के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ब्याज आर्थिक सहायता और अन्य प्रोत्साहन स्कीमें" - 500.00 लाख रु. वित्तीय संस्थाओं से समग्र रूप से पूरे दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(C) Major Head "3056" - "Other Expenditure - Interest Subsidy to Banks/ Financial Institutions for Loans to IWT enterpreneurs and other incentive schemes" - Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of claims complete in all respects from financial institutions.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - जहाजरानी मंत्रालय" के अंतर्गत 135.37 लाख रु. की बचत (1073.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और सादगी उपायों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" -"Secretariat - Ministry of Shipping" – saving of Rs.135.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1073.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts and austerity measures .

(III) मुख्य शीर्ष "3051" - "सामान्य - अनुसंधान और विकास - प्रशुल्क नियामक प्राधिकरण को अनुदान" के अंतर्गत 198.30 लाख रु. की बचत (424.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक और स्थापना व्यय में किफायत किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3051" - "General - Research and Development -Grants to Tariff Regulatory Authority"- saving of Rs. 198.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 424.00 lakhs) was due to economy in administrative and establishment expenditure.

(IV) मुख्य शीर्ष "3056"- "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान" के अंतर्गत 949.00 लाख रु. की बचत (8271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयानों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने में विलंब होने, गायघाट टर्मिनल, पटना में निम्न स्तर के घाट की परियोजना की लागत में वृद्धि को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 में टर्मिनलों की निर्माण लागत में कमी आने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3056" -"Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grant to Inland Water Ways Authority of India" – saving of Rs.949.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8271.00 lakhs) was due to delay in tendering for procurement of vessels, finalisation of cost escalation of project of low level jetty at Gaighat terminal, Patna and reduction in construction Cost of terminals in National Waterways 3.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 158.00 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads, savings of Rs. 158.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 29 and 50 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3327.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 4933.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग'' -

(क) ''अनुसंधान एवं विकास स्कीमों (पोत-निर्माण) के लिए सहायता अनुदान'' - 154.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 153.97 लाख रु. था।

(ख) ''राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र को सहायता'' - 99.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय - सामान्य आरक्षित निधि''- 951.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3056'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - बकाया देयताओं के परिसमापन के लिए सीआईडब्ल्यूटीसी को अनुदान'' - 2123.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2330.00 लाख रु. के पूरक अनुदान की तुलना में) हुआ।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग - पोत निर्माण आर्थिक सहायता'' - 1453.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समुद्री टैंकर प्लेटफार्म, सप्लाई वैसल्स क्लिपर बल्क कैरियर और संविदाओं की चरण अदायगी के संबंध में अतिरिक्त आर्थिक सहायता के कारण हुआ।''

(खा) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''लघु पत्तन - निदेशन और प्रशासन - पोर्ट ब्लेयर में सीई तथा प्रशासक कार्यालय और नई दिल्ली में तथा संपर्क कार्यालय संबंधी स्थापना प्रभार'' - 142.08 लाख रु. का अधिक व्यय (1307.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly (Rs.3327.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re–appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.4933.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" -"Engineering Industries - Transport Equipment Industries"-

(a) "Grants-in-aid for Research and Development Schemes (Ship-building)" - Rs.154.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.153.97 lakhs .

(b) "Assistance to National Ship Design and Research Centre" – Rs.99.00 lakhs.

(B) Major Head "3051" – "Lighthouses and Lightships – Lighthouses – Working Expenses – General Reserve Fund" – Rs.951.00 lakhs.

(C) Major head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants to CIWTC Ltd. for liquidating outstanding dues" - excess of Rs.2123.00 lakhs (against the supplementary grant for Rs.2330.00 lakhs).

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries – Ship-building subsidy" – excess of Rs.1453.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8700.00 lakhs) was due to additional subsidy in respect of Sea Tankers Platform, Supply Vessels Clippers Bulk Carriers and the stage payment of Contracts.

(B) Major Head "3051"- "Minor Ports-Direction and Administration – Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator Office at Port Blair and EE and Liaison Office at New Delhi" - excess of Rs.142.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1307.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for executing minor works.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	7725.00			
पू.	S.	1.00	6704.68	7325.58	+620.90
पु.	R.	–1021.32			
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5320.00			
			319.50	319.50	. .
पु.	R.	–5000.50			
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on other Transport Services				
मू.	O.	11200.00			
पू.	S.	1.00	15488.00	15270.40	–217.60
पु.	R.	4287.00			
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	7076.00			
			4726.00	4725.00	–1.00
पु.	R.	–2350.00			
मुख्य शीर्ष "7051" पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों के लिए कर्ज	Major Head "7051" Loans for Ports and Light Houses				
मू.	O.	7800.00			
			2151.00	1500.00	–651.00
पु.	R.	–5649.00			

(I) 5151.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 5150.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.5151.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.5150.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''प्रकाशस्तंभ और प्रकाश पोत - अन्य नौसंचालन सहायताओं का निर्माण और विकास - जलयानों का क्रय और प्रतिस्थापन'' - 150.00 लाख रु. गुजरात सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट यार्ड द्वारा धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(A) Major Head "5051"- "Lighthouses and Light Ships - Construction and development of other Navigational Aids – Purchase and Replacement of Vessels" - Rs. 150.00 lakhs - due to slow progress by Public Sector Unit Yard of Government of Gujarat.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''समुद्रपार जहाजरानी - अन्य व्यय - सर्वेक्षण जलयान'' - 5000.00 लाख रु. नए सर्वेक्षण जलयानों के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "5052" – "Overseas Shipping– Other Expenditure - Survey Vessels" - Rs. 5000.00 lakhs - due to non receipt of approval for acquisition of new Survey Vessels.

(II) मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभ का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभ का निर्माण और सुधार'' के अंतर्गत 1779.79 लाख रु. की बचत (2796.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/स्कीमों का अनुमोदन प्राप्त करने और उन्हें पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5051" - "Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses – Constructions and Improvement of Light House" - saving of Rs.1779.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2796.00 lakhs) was due to delay in approval and completion of the projects/schemes.

(III) मुख्य शीर्ष ''5075' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "5075" -savings occurred under the following heads:-

(का) ''नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - अन्य नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - कलकत्ता पत्तन न्यास को अदायगी'' - 363.46 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "River Training Works - Other River Training Works - Payment to Calcutta Port Trust"- saving of Rs.363.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 600.00 lakhs) was due to less requirement of funds for meeting the escalation cost of the project.

(खा) ''अन्य - अन्य व्यय - मुख्य पत्तन के वेब आधारित इलेक्ट्रानिक आंकड़ा अदला-बदली का विकास'' - 566.14 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Other - Other Expenditure - Development of Web based Electronic Data Interchange of Major Port" – saving of Rs.566.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to delay in approval of the contract.

(IV) मुख्य शीर्ष ''6858'' - ''परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड'' के अंतर्गत 2350.00 लाख रु. की बचत (6150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए सिंक्रो लिफ्ट उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावों को छोड़ने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "6858" – "Transport Equipment Industries – Loans for Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Shipyard Ltd." - saving of Rs.2350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6150.00 lakhs) was due to dropping of proposal for providing synchro lift for modernization of Hindustan Shipyard Ltd.

(V) मुख्य शीर्ष "7051" - "मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज" के अंतर्गत 6300.00 लाख रु. की बचत (7800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परादीप पत्तन में पहुंच नहर और प्रवेश नहर को गहरा करने के लिए अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "7051"- "Major Ports-Loans for Public Sector and other Undertakings-Loans to Port Trust" – saving of Rs.6300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7800.00 lakhs) was due to delay in approval for deepening of approach channel and entrance channel of Paradeep Port.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.59 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs. 90.59 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5999.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत मार्च, 2006 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (Rs.5999.00 lakhs) utilised for augmenting the provisions by re- appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2006 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5051" - "लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन-अवतरण सुविधाओं और घाटों का निर्माण" - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1660.32 लाख रु. था।

(A) Major Head "5051" - " Minor Ports - Other Small Ports - Construction of Landing facilities and Jetties" - Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1660.32 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "5057" - "अन्य - अन्य व्यय - सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना" - 4999.00 लाख रु.।

(B) Major Head "5075" - "Other - Other Expenditure - Sethusamudram Ship Canal Project" - Rs.4999.00 lakhs.